Shrotage of water in South Delhi

1722. DR. A. U. AZMI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is acute shortage of water in South Delhi as a result of which large number of women had to squat inside the second floor office of the Delhi Water and Sewage Disposal Undertaking at Link House;

(b) does the water trickle down for some time in the morning and sometime in the evening and the water is not available for sufficient time with full pressure;

(c) whether majority of the water meters are either defective and the consumers are given inflated water bills.

(d) whether water meters have been installed at places where proper meter reading cannot be taken; and

(e) if so, details of steps being taken to overcome the situation?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) and (b). The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking has informed that a few persons from the J.J. Slum Tenements, Kalkaji demonstrated at the office of the D.W.S. & S.D. Undertakings at Link House on 24-6-1982 regarding shortage of water in their tenements. Shortage of water is felt during summer in certain pockets in South Delhi which are situated at the tail-end of the distribution system or at higher elevations.

(c) No, Sir.

(d) and (e). The Undertaking has informed that the consumers are requested to get the meter installed at suitable places whenever any difficulty is faced in taking proper reading.

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

1723. **श्री हरीश रावत :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है कि भविष्य में दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का निर्माण न हो ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनाधिकृत कालोनियों को वृद्धि रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(i) भूमि/प्लाटों की अवैध बिक्री के मामलों की रिपोर्ट पुलिस के विशेष कक्ष को दी जाती है जिसे इस प्रयोजन हेतु दिल्ली प्रशासन के अधीन गठित किया गया है ।

(ii) ज्यों ही नवीन अनधिकृत निर्माण ध्यान में आता है दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे गिराने की कार्यवाही की जाती है ।

(iii) रिक्त भूमि पर बाड़ लगाई जा रही है ।

(iv) विकसित प्लाटों/फ्लैटों की बड़ी संख्या में जनता को दिया जा रहा है ताकि वे प्लाटों को अवैध बिक्री/खरीद में शामिल न हो ।

(v) भूमि पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में चौकीदार रखे गए हैं ।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा भी अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

दिल्ली में ऐसे अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए इस विषय में कानून के प्रावधानों को सख्त करने के लिए प्रासंगिक संविधियों को संशोधित करने का प्रस्ताव है ।